कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट–36/2019– 391 दिनांक : 12.07.2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग/ वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची/ उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर/ उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन्यप्रणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण, नये ग्रासलैंड निर्माण एवं वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) हेतु कुल **रू0 29.769 लाख (उनतीस लाख छिहत्तर हजार नौ सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–38/2019–48/स्वी0 व0प0 दिनांक–22.10.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0–38/2019–14/आ0 व0प0 दिनांक 29.06.2022 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–61–वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 29.769 लाख (उनतीस लाख छिहत्तर हजार नौ सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101610101O3	26.315
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110161010323	3.454
कुल :–		**29.769**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यो की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) एवं (ख)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060110161010103, 19S24060110161010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

E:\ANIL\2022-23\Allotment\OA\Wildlice Conservation\S O 48 dt 22.10.2019 (1)4th year.doc

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगें।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरुप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक

16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेगें।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ–साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ–साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01/यो0बजट—36/2019— 391 दिनांक— 12.07.2022

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्रणी, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01/यो0बजट—36/2019— 391 दिनांक— 12.07.2022

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ डोरण्डा, राँची/ जमशेदपुर/ मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जानेवाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामाग्री	योग
i	ii	iii	iv	viii	ix	x
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग।	1. हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणीः– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.255	0.417	2.672
		2. कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणीः– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.255	0.417	2.672
		3. गौतमबुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणीः– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.255	0.417	2.672
		4. लावालौंग वन्यप्राणी आश्रयणीः– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.255	0.417	2.672
		5. उधवा झील पक्षी आश्रयणीः– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	300	1.128	0.208	1.336
हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमण्डल का योग :–				**10.148**	**1.876**	**12.024**
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची।	पालकोट वन्यप्राणी आश्रयणीः– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	300	1.128	0.208	1.336
राँची वन्यप्राणी प्रमण्डल का योग :–				**1.128**	**0.208**	**1.336**
3	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर।	दलमा वन्यप्राणी आश्रयणीः– (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	1670	6.277	1.161	7.438
		(ii) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन	70	1.670	0.000	1.670
गज परियोजना, जमशेदपुर का योग :–				**7.947**	**1.161**	**9.108**
4	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	(i) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन (250 हे0)	250	5.964	0.000	5.964
		(ii) नेतरहाट में मैग्नीलिया प्वाईंट के परिवेश में मैग्नोलिया प्रजाति के पौधों का बॉस गैबियन के साथ पौधारोपण	300	1.128	0.209	1.337
दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर का योग :–				**7.092**	**0.209**	**7.301**
सकल योगः–				**26.315**	**3.454**	**29.769**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–38/2019–48/स्वी0 व0प0 दिनांक–22.10.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–

योजना का नाम– पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस–गैबियन का आकार:6'-6"x2'-6"x2'-6"

: स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0; पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 326.85 रूपये

कम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	49.03	4.50	**53.53**	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	163.43	5.00	**168.43**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	163.43	60.00	**223.43**	
	योग		**1.15**	**375.88**	**69.50**	**445.38**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक—

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 326.85 कार्य दर प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मज़दूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	**संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)**						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	2386.01	0.00	2386.01	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी/कॉपिस/कटबैक/ सिंगलिंग
	योग—		**7.30**	**2386.01**	**0.00**	**2386.01**	

नोटः—

1. प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति
   पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
2. इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-36/2019/391 दिनांक - 12-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	35052	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB 03 - मजदूरी	1,014,800.00 रुपये दस लाख चौदह हजार आठ सौ
2	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	35053	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 03 - मजदूरी	112,800.00 रुपये एक लाख बारह हजार आठ सौ
3	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	35054	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR 03 - मजदूरी	794,700.00 रुपये सात लाख चौरानवे हजार सात सौ

योग: रुपये उन्नीस लाख बाइस हजार तीन सौ 1,922,300.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 12/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-36/2019/391 दिनांक - 12-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	35055	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S(UTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	709,200.00 रुपये सात लाख नौ हजार दो सौ
5	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	35056	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	187,600.00 रुपये एक लाख सित्यासी हजार छः सौ
6	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	35057	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	20,800.00 रुपये बीस हजार आठ सौ

योग: रुपये अठाइस लाख उनचालीस हजार नौ सौ 917,600.00

क्रमिक योग: 2,839,900.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 12/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-36/2019/391 दिनांक - 12-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	35058	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	116,100.00 रुपये एक लाख सोलह हजार एक सौ
8	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	35059	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	20,900.00 रुपये बीस हजार नौ सौ

योग: 137,000.00

क्रमिक योग: रुपये उन्तीस लाख छहत्तर हजार नौ सौ 2,976,900.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 12/7/2022